प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बिलासपुर

पीठ : माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश,

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

दा०अ०क्र० 23/2005

1. लीलाधर यादव, पिता श्री मनबोध यादव, आयु लगभग 30 वर्ष, व्यवसाय – कृषि, जाति – महकूल, निवासी– हेडगींछा, थाना– कांसाबेल, जिला– जशपुर (छत्तीसगढ़)।
2. शंकर राम यादव, पिता गजीलधर यादव, आयु लगभग 28 वर्ष, जाति– महकूल, व्यवसाय– कृषि, निवासी– हेडगींछा, थाना– कांसाबेल, जिला– जशपुर (छत्तीसगढ़)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

..... अपीलार्थी

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा, पुलिस थाना पुलगांव, जशपुर (छत्तीसगढ़)

..... प्रत्यर्थी

(द.प्र.स. की धारा 374(2) के तहत अपील)

अपीलार्थी क्रं 1 की ओर से : श्री ए. एन. भक्ता, अधिवक्ता

अपीलार्थी क्रं 2 की ओर से : श्री सुशोभित सिंह, अधिवक्ता

राज्य की ओर से : श्री सुधीर बाजपेयी, उपशासकीय अधिवक्ता

निर्णय

(15-07-2009 को पारित)

न्यायलय का निम्लिखित निर्णय उदघोषित किया गया

माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील कुमार सिन्हा, द्वारा

1. अपीलार्थीगण को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जशपुर द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 102/2004 में दिनांक 17 दिसम्बर 2004 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 एवं 34 के अंतर्गत दोषी ठहराया गया तथा आजीवन कारावास एवं ₹1000/- के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड का भुगतान न करने पर अतिरिक्त 6 माह का कारावास भुगतने का आदेश दिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं:

मनबोध, लखन एवं सतिन्धर (अ.स.1) सगे भाई हैं। मृतक मुनेश्वर, सतिन्धर (अ.स.1) का पुत्र था। अभियुक्त लीलाधर, मनबोध का पुत्र है। अभियुक्त शंकर गाँव का निवासी है। मनबोध को बंटवारे में जो भूमि मिली थी, उसके एक हिस्से पर एक महुआ का पेड़ खड़ा था। वह पेड़ आंधी से गिर गया। घटना के दिन अर्थात् दिनाँक 23.07.2004 को सतिन्धर (अ.स.1) एवं उसका पुत्र मुनेश्वर (मृतक) कुछ व्यक्तियों को लेकर आए और लकड़ी काटकर अपने घर ले गए यह अपदेश करते हुए कि यह इसकी संयुक्त संपत्ति है और यह पूर्णतः मनबोध का नहीं है।

आरोप यह है कि मनबोध, अभियुक्त लीलाधर एवं शंकर घटनास्थल पर आए। लीलाधर ने इसका विरोध किया और कहा कि यह पेड़ उनका

है। इसी पर विवाद हुआ और विवाद के बाद लीलाधर ने मृतक के सिर पर लाठी से प्रहार किया। अभियुक्त शंकर पर यह आरोप है कि उसने अभियुक्त लीलाधर को मृतक मुनेश्वर पर हमला करने के लिए उकसाया। इस घटना को सतिन्धर (अ.स.1), नरसिंह राम (अ.स.2), जैनंदन राम (अ.स.3), पूरण राम (अ.स.4) एवं सुरन राम (अ.स.5) ने देखा। सतिन्धर (अ.स.1) ने 24.07.2004 को संबंधित थाना कांसाबेल में इसकी शिकायत दर्ज कराई और रोजनामचा रिपोर्ट (प्रदर्श पी.1) दर्ज की गयी। मृतक मुनेश्वर को चिकित्सकीय परीक्षण हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कांसाबेल भेजा गया, जहाँ डॉ. वाई.के. टोप्पो (अ.स.12) ने उसका परीक्षण किया और प्रतिवेदन (प्रदर्श पी.24) तैयार किया। उन्होंने दाहिने ऑक्सिपिटो-पैराइटल भाग पर 2 से.मी. × ½ से.मी. × ½ से.मी. का एक विदीर्ण घाव पाया तथा फ्रैक्चर की संभावना के चलते एक्स-रे कराने की सलाह दी। इस आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी.13) दर्ज की गई, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 506 एवं 324 के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया। इसके पश्चात् पीड़ित को होली क्रॉस अस्पताल, अंबिकापुर भेजा गया, जहाँ उपचार के दौरान दिनांक 25.07.2004 को प्रातः 11:45 बजे उसकी मृत्यु हो गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मृत्यु के पश्चात् मर्ग सूचना (प्रदर्श पी.19) दर्ज की गई। मृतक के शव का समीक्षा (प्रदर्श पी.29) के अंतर्गत तैयार किया गया और शव को पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल, अंबिकापुर भेजा गया। वहाँ डॉ. फैज़ुल हसन फिरदौसी (अ.स.11) ने पोस्टमार्टम किया। उन्होंने दाहिनी पेराइटल हड्डी में धँसा हुआ फ्रैक्चर पाया और यह व्यक्त किया कि मृत्यु सिर की

चोट से हुई है तथा यह मानववध प्रकृति की है। उन्होंने अपनी प्रतिवेदन (प्रदर्श पी.11) दिया।

आगे की अन्वेषण में, अभियुक्त लीलाधर का धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत मेमोरेंडम कथन (प्रदर्श पी.6) दर्ज किया गया और उसकी निशानदेही पर एक डंडा जब्त किया गया (प्रदर्श पी.7)। अभियुक्त के कपड़े भी जब्त किए गए (प्रदर्श पी.8) तथा होली क्रॉस अस्पताल का बेड-हेड टिकट की प्रति जब्त की गई (प्रदर्श पी.12)। जब्त वस्तुएँ रासायनिक परीक्षण हेतु रायपुर स्थित विधि विज्ञान प्रयोगशाला को (प्रदर्श पी.20) के अंतर्गत भेजी गई और वहाँ पर (प्रदर्श पी.21) के रूप में प्राप्त हुईं, परंतु एफ.एस.एल. का प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं की जा सकी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सामान्य विवेचना पूर्ण होने के बाद अभियोग पत्र मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट, जशपुर की न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। वहाँ से प्रकरण को सत्र न्यायालय को अर्पित किया गया और तत्पश्चात यह मामला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जशपुर को स्थानांतरित हुआ, जिन्होंने विचारण कर उपर्युक्त अनुसार अभियुक्तों को दोषसिद्ध कर दंडित किया।

3. अभियुक्तगण की दोषसिद्धि प्रत्यक्षदर्शी गवाहों सतिन्धर (अ.स.1), नरसिंह (अ.स.2), जैनंदन (अ.स.3), पूरण राम (अ.स.4) एवं सुरन राम (अ.स.5) के कथनों पर आधारित है|

4. श्री ए.एन. भक्ता तथा श्री सुशोभित सिंह, जो क्रमशः अपीलार्थी क्रमांक 1 एवं 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता के रूप में उपस्थित हुए, उन्होंने मृतक की मृत्यु को मानववध प्रकृति का होने के सम्बन्ध में कोई विवाद

नहीं किया। उन्होंने यह तर्क दिया कि जहाँ तक अपीलार्थी शंकर का संबंध है, प्रारंभ में उसके विरुद्ध कोई आरोप नहीं था; यहाँ तक कि उसका नाम उस प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी नहीं था, जो कि एक प्रत्यक्षदर्शी (स्वयं मृतक के पिता) ने दर्ज कराई थी। किंतु उसके बाद गवाहों के साक्ष्य में उसका नाम आया। कुछ गवाह कहते हैं कि उसने भी मारपीट में भाग लिया और कुछ कहते हैं कि उसने केवल अभियुक्त लीलाधर को मृतक पर हमला करने हेतु उकसाया। जहाँ तक अभियुक्त लीलाधर का प्रश्न है, श्री ए.एन. भक्ता ने यह तर्क रखा कि जिस प्रकार उसने मृतक के सिर पर केवल एक वार किया, उससे यह स्पष्ट होता है कि उसका कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 300 की अपवाद 4 के अंतर्गत आता है और उसे धारा 304 भाग II के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. इसके विपरीत, श्री सुधीर बाजपेयी, उप शासकीय अधिवक्ता, राज्य की ओर से उपस्थित हुए और उन्होंने इन तर्कों का विरोध करते हुए सत्र न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का समर्थन किया।

6. प्रथम दृष्टया हम अपीलार्थी शंकर के मामले पर विचार करेंगे। यह निर्विवाद है कि सतिन्धर (अ.स.1) प्रत्यक्षदर्शी था। वह मृतक मुनेश्वर का पिता है। दिनाँक 24.07.2004 को उसने थाना में शिकायत दर्ज कराई, जिसे लिखित रूप में "रोजनामचा संहा" (प्रदर्श पी.1) में अंकित किया गया। उक्त दस्तावेज़ की अंतर्वस्तु से यह स्पष्ट होता है कि उसमें अपीलार्थी शंकर के किसी भी प्रत्यक्ष कृत्य का उल्लेख नहीं किया गया है। यहाँ तक कि उसका नाम तक रोजनामचा संहा में दर्ज नहीं है। इस दस्तावेज़ में उसकी उपस्थिति का भी उल्लेख नहीं है। यही स्थिति एफ.आई.आर. (प्रदर्श पी.13) की भी है, जो इसी संहा पर आधारित है

किंतु चोट के सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद लिखी गई। वस्तुतः, अपीलार्थी शंकर को जो कृत्य आरोपित किए गए हैं, उसका रोजनामचा संहा (प्रदर्श पी.1), एफ.आई.आर. (प्रदर्श पी.13) तथा सतिन्धर के केस डायरी बयान (प्रदर्श डी.1) में विलोपन हैं। सतिन्धर (अ.स.1) से उसके साक्ष्य के कंडिका 12 में इस पहलू पर प्रतिपरीक्षण की गई लेकिन उसने यह कहा कि उसने पुलिस को सब बताया था और यह नहीं बता सकता कि उसके डायरी बयान (प्रदर्श डी.1) में ये तथ्य क्यों दर्ज नहीं की गयी।

7. (अ.स.2) नरसिंह राम ने कहा कि अपीलार्थी शंकर ने मृतक के सिर पर लाठी मारी और अपीलार्थी लीलाधर ने भी उस पर लाठी से वार किया। जैनंदन राम (अ.स.3) ने भी कहा कि अपीलार्थी शंकर ने मृतक को लाठी से मारा और फिर अपीलार्थी लीलाधर ने भी लाठी से प्रहार किया। जबकि अन्य दो प्रत्यक्षदर्शी पूरण राम (अ.स.4) और सुरन राम (अ.स.5) ने कहा कि लाठी का वार लीलाधर ने किया और शंकर केवल मृतक पर हमला करने के लिए उकसा रहा था। अर्थात्, इन गवाहों ने यह उल्लेख ही नहीं किया कि मृतक पर अपीलार्थी शंकर ने वास्तव में कोई हमला किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. ***'जैनुल हक बनाम बिहार राज्य, ए.आई.आर. 1974 एस.सी. पृष्ठ 45'*** के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कंडिका 8 में यह कहा कि उकसावे का साक्ष्य स्वभावतः कमजोर साक्ष्य होता है। प्रायः ऐसी प्रवृत्ति देखी जाती है कि वास्तविक हमलावर के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को फँसाने के लिए उस पर यह आरोप लगाया जाता है कि उसने हमलावर को पीड़ित पर हमला करने के लिए उकसाया। जब तक इस प्रकार का साक्ष्य स्पष्ट, ठोस एवं विश्वसनीय न हो, तब तक किसी व्यक्ति को केवल

उकसाने के आधार पर दंडित नहीं किया जा सकता। माननीय उच्चतम न्यायालय ने आगे यह भी कहा कि अभियुक्त के विरुद्ध जो साक्ष्य पेश किए गए थे, वे परस्पर विरोधी एवं अविश्वसनीय थे, और इसी आधार पर अभियुक्त की दोषसिद्धि अपास्त कर दी गई तथा उसे दोषमुक्त कर दिया गया।

9. वर्तमान मामले में भी अपीलार्थी शंकर के विरुद्ध उकसावे या हमले के आरोप असत्य एवं बाद में गढ़े हुए प्रतीत होते हैं। विचारण में उसके कथित भूमिका से संबंधित साक्ष्य परस्पर विरोधाभासी एवं अविश्वसनीय हैं। मृतक के पिता ने सम्पूर्ण घटना को प्रत्यक्ष देखा था। यदि वास्तव में शंकर सम्मिलित होता या घटनास्थल पर उपस्थित होता, तो उसका नाम रोजनामचा संहा (प्रदर्श पी.1) अथवा एफ.आई.आर. (प्रदर्श पी.13) में अवश्य दर्ज किया जाता। इन विलोपनो ने अभियोजन के मामले को घातक रूप से प्रभावित किया है और अन्य गवाहों के कथन भी शंकर की भूमिका को लेकर अत्यधिक विरोधाभासी हैं। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अपीलार्थी शंकर की दोषसिद्धि ऐसे साक्ष्यों के आधार पर कायम नहीं रखी जा सकती और इसे अपास्त किया जाना आवश्यक है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. जहाँ तक अपीलार्थी लीलाधर का संबंध है, अभियोजन का कथन यह है कि महुआ के पेड़ की लकड़ी बाँटने को लेकर परिवार की दो शाखाओं के बीच विवाद हुआ। दोनों भाई उस संपत्ति में अपना-अपना हिस्सा बता रहे थे। (अ.स.3) जैनंदन राम एक मज़दूर था, जिसे लकड़ी काटने के लिए बुलाया गया था। उसने कहा कि उसे अभियुक्तगणों ने लकड़ी काटने बुलाया था। वह पूरण और सुरन के साथ, अपीलार्थी शंकर के कहने पर, लकड़ी काटने गया। वे आरी से लकड़ी काट रहे थे। लगभग शाम 5 बजे

मृतक मुनेश्वर वहाँ पहुँचा और गाली-गलौज करने लगा, जिस पर विवाद हुआ। उनके मना करने के बाद भी मुनेश्वर नहीं रुका और वह अपीलार्थियों से झगड़ा करने लगा, तभी उस पर हमला हुआ। यद्यपि सतिन्धर (अ.स.1) को छोड़कर अन्य गवाहों ने कहा कि मृतक पर दोनों अपीलार्थियों ने हमला किया था, किंतु उनके बयान का वह हिस्सा अविश्वसनीय प्रतीत होता है, क्योंकि मृतक के पिता ने यह बात नहीं कही और न ही उसने एफ.आई.आर. या रोजनामचा संहा में इन तथ्यों का उल्लेख किया। उसने केवल यही कहा कि हमला अपीलार्थी लीलाधर ने किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि लकड़ी बाँटने को लेकर परिवार की दो शाखाओं के बीच विवाद हुआ और उस विवाद में अपीलार्थी लीलाधर ने मृतक के सिर पर लाठी से प्रहार किया। यह कहीं से प्रतीत नहीं होता कि वह पहले से तैयार होकर या किसी हथियार के साथ आया था। अतः न तो कोई तैयारी थी और न ही कोई पूर्वनियोजन था। यह वार अचानक हुए विवाद में में किया गया। इन परिस्थितियों में उसका कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 300 की अपवाद 4 के अंतर्गत आता है और वह धारा 304 भाग II के अंतर्गत दंड का पात्र है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. परिणामस्वरूप, यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी शंकर की दोषसिद्धि एवं दंड अपास्त किए जाते हैं। उसे आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। यह उल्लेख किया गया है कि वह दिनांक 27.07.2004 से जेल में है। यदि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता न हो, तो उसे तत्काल रिहा किया जाए।

12. अपीलार्थी लीलाधर को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 एवं 34 के अंतर्गत दी गई दोषसिद्धि एवं दंड भी अपास्त किए जाते हैं। इसके स्थान

पर, उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग II के अंतर्गत दोषसिद्ध किया जाता है और 6 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया जाता है। वह 27.07.2004 से जेल में है। वह कारावास में बितायी गयी अवधि के समायोजन का हक़दार होगा ।

सही/- सही/-

मुख्य न्यायाधीश सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश. न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By ANURAG AGRAWAL